**[2008] 3 एस.सी.आर. 163**

**मुन्द्रिका दूबे एवं अन्य**

**बनाम**

**बिहार राज्य एवं अन्य**

(2008 की दीवानी अपील संख्या 1468)

21 फ़रवरी 2008

**[तरुण चटर्जी एवं हरजीत सिंह बेदी न्यायमूर्तिगण]**

*सेवा विधि :*

*सेवानिवृत्ति – अनिवार्य सेवानिवृत्ति – अपीलार्थी वर्ग-4 के कर्मचारी – प्रतिवादी बैंक द्वारा – औचित्य – अभिनिर्धारित : उचित।*

*नियम 235 के अंतर्गत बैंक के हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान था। प्रतिवादी-बैंक न केवल अत्यधिक जनशक्ति-युक्त था बल्कि भारी घाटे में चल रहा था। बैंक के अस्तित्व हेतु कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त कटौती आवश्यक थी।किस कर्मचारी को कब सेवा में रखा जाए, या किस चरण पर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए — यह विषय पूर्णतः नियोक्ता के विवेक के अधीन होता है; इस पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं। बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति (नियम) – नियम 232 एवं 235।*

**अपीलार्थी-वर्ग-4 के कर्मचारियों को प्रतिवादी-बैंक द्वारा नियम 232 एवं 235 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया।**

**इस न्यायालय में दायर अपील में अपीलार्थियों का मुख्य तर्क यह था कि नियम 235, जिसके आधार पर सेवाएँ समाप्त की गईं, वास्तविक रूप से शक्ति-प्रदायक प्रावधान नहीं है,**

क्योंकि वह केवल कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को देय भविष्य-निधि एवं ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित है। उनका कहना था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति केवल नियम 232 के अंतर्गत हो सकती है और वह भी केवल अक्षमता के आधार पर। चूँकि प्रतिवादी-बैंक का यह आरोप नहीं था कि अपीलार्थी अक्षम थे, अतः बैंक की कार्रवाई अनुचित थी। अपीलार्थियों ने यह भी कहा कि उन्होंने बैंक में 30 वर्षों से अधिक सेवा की है और यदि बैंक को अधिक सक्षम बनाने हेतु पुनर्गठन आवश्यक था, तो उच्च वेतनभोगी वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया जाना अधिक उपयुक्त होता, न कि निम्न-वेतन वर्ग-4 के कर्मचारियों को।

पक्षविपरीत, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि नियम 235 स्वयं अधिकार का स्रोत है और यह नियम 232 से भिन्न क्षेत्र में कार्य करता है तथा यह इस न्यायालय का काम नहीं है कि यह निर्धारित करे कि किस कर्मचारी को पहले छाँटा जाना चाहिए और किसे बाद में, क्योंकि यह बैंक के आंतरिक प्रशासन का विषय है।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: स्वीकार है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई नियम 232 के तहत नहीं की गई है, जो उस कर्मचारी के लिए प्रावधान करती है जिसने 21 वर्षों की ड्यूटी और 25 वर्षों की कुल सेवा पूरी की हो और यदि यह माना जाए कि कर्मचारी की दक्षता या आचार सेवा में उसे बनाए रखने के योग्य नहीं है। तथापि, नियम 235 बैंक के हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बारे में बताता है उन लोगों के लिए जिनकी आयु 50 वर्ष हो और जिन्होंने 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो और यह योगदान-आधारित भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी देता है जो ऐसे कर्मचारियों के लिए मान्य हैं। निःसंदेह, नियम 232 के अंतर्गत कार्रवाई केवल तब की जा सकती है जब संबंधित कर्मचारी अकुशल हो या दुराचार में दोषी हो; जबकि नियम 235 का दायरा व्यापक है और उसमें बैंक के हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि दोनों नियम अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं क्योंकि योग्य सेवा अवधि

**अलग-अलग है और नियम 235 के तहत सेवानिवृत्त होने वालों को कुछ अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि उनकी दक्षता में कोई अवनति नहीं हुई परंतु उन्हें बैंक के हित में बाहर जाना पड़ रहा है। केवल इसलिए कि नियम 235 में योगदान-आधारित भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का उल्लेख है, इससे यह अधिकार छीन लिया जाता है कि उन लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता जिनकी आयु 50 वर्ष और सेवा 30 वर्ष हो और जिनका सेवानिवृत्ति बैंक के हित में हो। अतः यह कार्रवाई नियम 235 के तहत सही थी। [पैराग्राफ 8] [165-सी, डी, ई, एफ, जी]**

**2. यह इस न्यायालय का कार्य नहीं है कि यह निर्णय करे कि किसे सेवा में रखा जाए और किसे किस चरण पर सेवानिवृत्त किया जाए; यह नियोक्ता के विशेष विवेक का विषय है। मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि बैंक न केवल अत्यधिक अधिभारित था बल्कि भारी नुकसान में भी चल रहा था और उसके जीवित रहने के लिए व्यापक छँटनी आवश्यक थी, जो निश्चित रूप से कठिन लेकिन आवश्यक थी। [पैराग्राफ 9] [169-ए, बी]**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील संख्या 1468 / 2008।

पटना उच्च न्यायालय के एल.पी.ए. संख्या 1184 / 2004 में दिनांक 7.12.2005 के अंतिम आदेश से।

प्रिय हिंगोरानी (एम/एस हिंगोरानी एंड एसोसिएट्स की ओर से) — अपीलकर्ताओं की ओर से।

श्रवण कुमार, बी.पी. यादव, संजीव मलहोत्रा, गोपाल सिंह और मनीष कुमार — प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **हरजीत सिंह बेदी, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया : 1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 7 दिसम्बर 2005 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2004 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित रिट याचिका खारिज करने का आदेश पुष्टि किया गया। मामले के तथ्य निम्न प्रकार हैं:-

3. अपीलकर्ता वर्ष 1971 में प्रतिवादी-बैंक में क्लास-IV कर्मचारी अर्थात् चपरासी के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्हें बैंक द्वारा 5 जून 2004 के आदेश से, जो कि बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति (आगे "नियम" कहा गया है) के नियम 232 और 235 के तहत बताया गया है, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। 5 जून 2004 के आदेश से पीड़ित होकर, अपीलकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय में अनेक रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिनमें, अन्य बातों के अलावा, यह कहा गया कि बैंक द्वारा की गई कार्रवाई नियम 232 के तहत उचित नहीं थी क्योंकि उन्हें अयोग्यता के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी गई थी, और नियम 235 कोई ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया जा सके, क्योंकि यह केवल उन कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का लाभ देने की बात करता है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय 50 वर्ष की आयु और 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर, प्रतिवादी-बैंक ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। इसमें, अन्य बातों के अलावा कहा गया कि बैंक अत्यधिक मात्रा में कर्मचारियों से भरा हुआ था और अक्षम रूप से चलाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह भारी घाटे में चला गया था और उसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई थी। यह भी बताया गया कि कार्रवाई किए जाने से पूर्व बैंक में एक समिति गठित की गई थी जिसने बैंक की संपूर्ण संरचना का परीक्षण किया और इसके परिणामस्वरूप अनेक कार्यालयों और शाखाओं को बंद किया गया तथा शेष बचे कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया। यह भी बताया गया कि बैंक में अत्यधिक कर्मचारियों की संख्या इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि 166 चपरासियों की आवश्यकता के स्थान पर 507

नियुक्त कर दिए गए थे, और अपीलकर्ताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय अनिच्छा के साथ, लेकिन बैंक के अस्तित्व को बचाने हेतु आवश्यक कदमों में से एक के रूप में लिया गया। यह भी बताया गया कि निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 24 दिसम्बर 2003 को हुई, जिसमें सभी तथ्य विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि पहले चरण में वे निम्न श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें 30 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए। इन कार्यवाहियों की प्रति कागजात संकलन में परिशिष्ट पी-1 के रूप में संलग्न है।

4. दिनांक 12 अक्टूबर 2004 के अपने निर्णय में माननीय एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यात्मक पहलू से सम्बन्धित स्पष्टीकरण को स्वीकार किया और यह भी कहा कि नियम 232 ऐसी स्थिति में लागू नहीं होता जबकि नियम 235 वास्तव में लागू होता है, और इस प्रकार उपर्युक्तानुसार लिखित याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष दायर की गई अपील भी खारिज कर दी गई।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुश्री प्रिया हिंगोरानी ने जोरदार तर्क दिया कि नियम 235, जिसके आधार पर प्रतिवादियों ने अपीलकर्ताओं की सेवाएँ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से समाप्त की थीं, वास्तव में कोई अधिकार देने वाला प्रावधान नहीं है क्योंकि यह केवल एक विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को अनुदानयोग्य भविष्य निधि तथा अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी) के भुगतान से सम्बंधित है, और यह कि केवल नियम 232 के अंतर्गत ही किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है, वह भी अकुशलता (inefficiency) के आधार पर; और चूँकि प्रतिवादी-बैंक का यह मामला ही नहीं था कि अपीलकर्ता अकुशल थे, इसलिए आक्षेपित कार्यवाही अनुचित थी। यह भी आग्रह किया गया कि अपीलकर्ताओं ने बैंक में 30 वर्षों से अधिक सेवा की है, और यदि बैंक के कार्य को अधिक कुशल बनाने हेतु पुनर्गठन किया जाना था तो उचित होता कि बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से पृथक

किया जाता न कि अपीलकर्ताओं जैसे निम्न वेतन श्रेणी के क्लास-IV कर्मचारियों को।

6. इन तर्कों का प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार ने यह कहते हुए खण्डन किया कि नियम 235 स्वयं में शक्ति का स्रोत है तथा नियम 232 से भिन्न क्षेत्र में कार्य करता है, और यह कि यह न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि किस कर्मचारी को पहले और किसे बाद में सेवा से हटाया जाए क्योंकि यह पूरी तरह से बैंक के आंतरिक प्रशासन का विषय है।

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख देखा। नियम 232 तथा नियम 235 नीचे पुनरुत्पादित किए जाते हैं—

नियम 232" "बैंक किसी भी बैंक कर्मचारी को, जिसने 21 वर्ष का कर्तव्य तथा 25 वर्ष की कुल सेवा (उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए) पूरी कर ली हो, यदि यह माना जाए कि कर्मचारी की कुशलता या आचरण ऐसा नहीं है कि उसे सेवा में बनाए रखा जाए, तो उसे बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त कर सकता है। जहाँ किसी बैंक कर्मचारी को इस प्रकार सेवानिवृत्त किया जाता है, वहाँ किसी विशेष प्रतिकर ( के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।"

"नियम 235 : कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है अथवा बैंक के हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है, जब वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तथा 30 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेता है, तो उसे सहभाजित भविष्यनिधि तथा ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसा कि स्वीकार्य है।"

8. यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई नियम 232 के अन्तर्गत नहीं की गई है, जो उस कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बद्ध है जिसने 21 वर्षों का कार्य तथा 25 वर्षों की कुल सेवा पूर्ण की हो, यदि यह माना जाए कि कर्मचारी की

कार्यकुशलता अथवा उसका आचरण सेवा में बने रहने को उचित नहीं ठहराता। परन्तु नियम 235 बैंक के हित में उन कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात करता है जिन्होंने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 30 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, और ऐसे कर्मचारियों को सहभाजित भविष्यनिधि तथा ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने की भी बात करता है। निस्संदेह, नियम 232 के अन्तर्गत कार्यवाही केवल तब ही की जा सकती है जब संबंधित कर्मचारी अकार्यकुशल हो या कदाचार का दोषी हो, जबकि नियम 235 का दायरा बहुत व्यापक है और बैंक के हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया जा सकता है। यह तथ्य कि दोनों नियम अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होते हैं, इससे भी स्पष्ट है कि पात्रता-सेवा अलग है और नियम 235 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वालों को कुछ अतिरिक्त वित्तीय लाभ एक प्रकार के सांत्वना-राशि के रूप में दिए जाते हैं, यद्यपि उनकी कार्यकुशलता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है। और केवल इसलिए कि नियम 235 सहभाजित भविष्यनिधि और ग्रेच्युटी के भुगतान की भी बात करता है, यह इस अधिकार को समाप्त नहीं करता कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और 30 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को बैंक के हित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सके। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के इस मत से सहमत हैं कि नियम 235 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई उचित थी।

9. हम समान रूप से इस मत के हैं कि यह इस न्यायालय का कार्य नहीं है कि यह निर्धारित करे कि किसे सेवा में रखा जाए और किसे सेवानिवृत्त किया जाए तथा किस अवस्था और परिस्थिति में—क्योंकि यह विषय नियोक्ता के एकमात्र विवेकाधिकार में आता है। मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि बैंक न केवल भारी संख्या में अधिक कर्मचारियों से ग्रस्त था बल्कि भारी घाटे में भी चल रहा था और काफी कटौती, जो निस्संदेह कष्टदायक होती, उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक थी।

10. अतः हमें इस अपील में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। अपील निरस्त की जाती है, बिना किसी लागत-आदेश के।

बी.बी.बी. अपील निरस्त की जाती है।

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**